

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

गोठासीन अधिकारी-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 21/2022

GCMS NO -

उनवान- के.लाथचंद बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:आदेश:-

दिनांक : 03/01/2022

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का जालेरा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जालेरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 54 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>जालेरा</u>	<u>54</u>	<u>कजोड़ पुत्र कोइराम केलाथचंद पुत्र कोइराम</u>	<u>केलाथचंद पुत्र कोइराम</u>

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर, बुहाना

क्रमांक :- राजस्व/2022/26-27

दिनांक :- 03/01/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. के.लाथचंद पुत्र कोइराम केधवास जालेरा तहसील बुहाना

जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
एवं (सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर, बुहाना